

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय मार्ग)
Office of Chief Engineer
(National Highways)
लो०नि०वि०, लखनऊ-226001
UPPWD, Lucknow-226001



96, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001
96, Mahatama Gandhi Marg, Lucknow
E-mail: cenh.up@gmail.com
0522-2236046
2237324 (Ext-214)

Letter No.: 966 NH/865N/08

Date: 15.03.2024

To,

Superintending Engineer
National Highway Circle, PWD,
Lucknow/Kanpur/Gorakhpur/Prayagraj/Bareilly

Sub: Debarment of Contractors by UPPWD-Reg.

Ref: Engineer-in-Chief, UPPWD Office Order no. 2347M.T./General Section/54M-101/ 2010,
dated 06.03.2024

Sir,

Please refer to above cited subject Office Order issued by Engineer-in-Chief, UPPWD to
Debar M/s AB Infrazone Pvt. Ltd., Bilsa Badaun, UP for a period of 06 Months.

2. The copy of above Order is being sent for consideration during the Bid Evaluation of
further biddings in the National Highway/MoRTH/Centrally Sponsored Works.

Encl: As above.

(Parvez Ahmad Khan)
Chief Engineer (NH)

Copy for Information and necessary action: -

1. Chief Engineer (North-II), MoRTH, New Delhi.
2. Chairman, NHAI, G-5,6/ Sector -10 Dwarka, New Delhi.
3. DG, BRO, New Delhi.
4. Special Secretary, PWD Anubhag-12, UP Govt., Lucknow.
5. E-in-C(HOD)/ E-in-C Rural Road/ E-in-C(D/P), UPPWD Lucknow.
6. Chief Engineer-Regional Officer, MoRTH, Lucknow.
7. Executive Director, NHIDCL, New Delhi.
8. Chief Engineer (HQ-2) UPPWD, Lucknow.
9. All Executive Engineer, NH Division, PWD UP.
10. M/s AB Infrazone Pvt. Ltd., Bilsa Badaun, UP.

Chief Engineer (NH)
15/3/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उ०प्र०
लोक निर्माण विभाग लखनऊ
(सामान्य वर्ग)

पत्रांक:- 2347 एम.टी./सामान्य वर्ग/54एम०-101/2010

दिनांक: 06/03/2024

कार्यालय-ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० में मेसर्स ए०बी० इन्फ्राजोन प्रा०लि०, 35, वार्ड नं०-2, इस्लामनगर, तहसील-बिलसी, बदायूँ, यू०पी० का मार्ग कार्य हेतु श्रेणी 'ए' की ठेकेदारी में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक-10012 एम०टी०/सामान्य वर्ग/54एम-164/2012, दिनांक-06.11.2012 एवं अन्तिम नवीनीकरण पत्रांक-9096एम०टी०/सामान्य वर्ग/54एम०-164/2012, दिनांक-12.08.2021 द्वारा दिनांक-30.06.2024 तक के लिए किया गया है। इसमें श्री अरशद अली, श्री फाईक अली, श्रीमती नुजहत परवीन एवं श्रीमती साजिदा खान कुल 04 निदेशक हैं।

जनपद मुरादाबाद में असाध्य ग्राम (दरियापुर) जनपद मुरादाबाद में भगवानपुर रैनी (जनपद बिजनौर) मार्ग का नवनिर्माण एवं बूढ़ी रामगंगा नदी पर 58.120 मी० स्पान के लघु सेतु का निर्माण कार्य की निविदा (टेण्डर आई०डी०-2023_CEMBD_875005_1) में आपकी फर्म द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा आप द्वारा निविदा ई-टेण्डरिंग एवं प्रहरी पोर्टल के माध्यम से वेबसाइट-<http://etender.up.nic.in> एवं <http://wms.uppwd.gov.in/> Pahrail पर दिनांक 12.01.2024 समय 11:23 पूर्वाह्न को सबमिट की गयी। कार्य की तकनीकी बिड 12.01.2024 को खोली गयी।

शासनादेश संख्या-14/2020/879/तेईस-7/2020-176(सा०)/6, दि० 25.08.2020 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत आपकी निविदा के विरुद्ध Exisitng commitments and on-going construction work के सम्बन्ध में आपत्ति प्राप्त हुई। आपत्ति में इंगित कार्य के सम्बन्ध में आपके पक्ष में गठित 02 अनुबन्ध Wrok of Two Lane with paved shoulder from chainage 106(670) to 141-00 of Moradabad Farrukabad Road SH-43 and District Budaun, Rs 5813-32 Lakh तथा Widening and Strenfthening work of Bhamora Shahbad Bilari Road SH-125 in District Bareilly Rs 6873.74 Lakh के Existing commitments and on-going construction work के सम्बन्ध में सम्बन्धित खण्डों/कार्यालय द्वारा सत्यापन कराने पर पाया गया कि उक्त कार्यों में से Work of two Lane with paved shoulder from chainage 106(670) to 141-00 of Moradabad Farrukabad Road SH-43 and District Budaun, Rs 5813-32 Lakh पर मात्र 1.09 लाख का कार्य शेष है जबकि पुष्टि के सम्बन्ध में प्राप्त पत्रों में उपरोक्त दोनों कार्यों के अनुबन्धों के सापेक्ष कोई भी मुगतान न होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। जिससे आपत्ति की पुष्टि हुई कि यह आपके द्वारा प्रहरी पोर्टल पर अपने Exisitng commitments and on-going construction work को जानबूझ कर छुपाया गया है।

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 25.08.2020 द्वारा टेण्डर/निविदा की प्रक्रिया को पारदर्शिता तथा कार्यों के मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में विकसित प्रहरी एप्लीकेशन हेतु निहित व्यवस्था का स्पष्ट उल्लंघन है। निविदा में आपके द्वारा बिड सही होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र भी अपलोड किया गया है जो कि स्वयं में असत्य हो जाता है।

उक्त कृत्य हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-1727एम०टी०/सामान्य वर्ग/54एम०-164/2012, दिनांक-16.02.2024 द्वारा उक्त कम्पनी/निदेशक को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। जिसका उत्तर कम्पनी/निदेशक द्वारा निर्धारित समयावधि में 15 दिन में उत्तर नहीं दिये जाने से स्पष्ट है कि फर्म को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में कम्पनी/निदेशक द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न दिये जाने के कारण शासनादेश सं०-2365एम०एस०/23-पी०डब्लू०-41एम०एस०/54, दि०-24.08.1982 एवं प्रमुख अभियन्ता, लो.नि. वि., लखनऊ के पत्र संख्या-362 एम०टी०जी०/70एफ०-68 दिनांक-08.10.1982 एवं शासनादेश संख्या-4127 एम०एस०/23 सा०नि०अनु०(7) दिनांक-02.12.1974 के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त फर्म एवं उसके पार्टनरों को 06 माह के लिए डिबार किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

उक्त आदेश प्रमुख अभियन्ता(परि०/नियो०), लो०नि०वि० उ०प्र० के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

ए०/

(विजय सिंह)

मुख्य अभियन्ता(मु०-2),

लो०नि०वि०, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक, राष्ट्रीय मार्ग, पी०एम०जी०एस०वाई०, सेतु/वाह्य सहायतित इण्डो-नेपाल बार्डर, लो०नि०वि०, लखनऊ को इस

- आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
 3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लिमिटेड, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
 4. निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
 5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
 6. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
 7. अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो०नि०वि० मुरादाबाद।
 8. अधिशाली अभियन्ता, कम्प्यूटराइज्ड खण्ड, लो०नि०वि०, लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेब साइट पर लोड किये जाने हेतु प्रेषित।
 9. अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि० बढ़ाये।
 10. अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० बरेली।
- पंजीकृत- 11. मेसर्स ए०बी० इन्फ्राजोन प्रा०लि०, 35, वार्ड नं०-2, इस्लामनगर, तहसील- बिलसी, बढ़ाये।

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर(सा०),
लो०नि०वि०, लखनऊ